क्रम-संख्या–92 (ग–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 13 जून, 2025

ज्येष्ठ 23, 1947 शक सम्वत्

प्रारूप–18

[नियम–20 का उपनियम (2)]

समुचित सरकार / कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना

[अधिनियम की धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत]

उत्तर प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

संख्या 1017/आठ–वि0भू0अ0अ0(सं0सं0) / बुलन्दशहर

बुलन्दशहर, 13 जून, 2025

अधिसूचना

प० आ०–133

1- भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) अधीन उ0प्र0 / कलेक्टर (समुचित सरकार के उदेश्य हेतु) राय है कि खुर्जा विकास प्राधिकारण, खुर्जा द्वारा प्रस्तावित किर्रा औद्योगिक योजना के लिए जनपद–बुलन्दशहर, तहसील खुर्जा, ग्राम किर्रा में कुल 11.8284 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

2- राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी AGRIMAA TRUST द्वारा समाघात निर्धारण अध्यन किया गया है, तथा समुचित सरकार का अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है, जिसे समुचित सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

3- सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है:–

(क) किर्रा औद्योगिक योजना जनपद–बुलन्दशहर में आने के उपरांत जनपद में रोजगार के साथ–साथ आर्थिक कार्यकलाप की वृद्धि होगी।

(ख) इस परियोजना से संभावित लाभ के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के आवश्यक कुल भूमि मूल्य के सापेक्ष प्रसंगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

4- भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है।

5- राज्य सरकार/कलेक्टर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।

अनुसूची

क्र0सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	बुलन्दशहर	खुर्जा	खुर्जा	किर्रा	550	1.7363
2	बुलन्दशहर	खुर्जा	खुर्जा	किर्रा	553	0.5294
3	बुलन्दशहर	खुर्जा	खुर्जा	किर्रा	556	1.0024
4	बुलन्दशहर	खुर्जा	खुर्जा	किर्रा	557	0.8470
5	बुलन्दशहर	खुर्जा	खुर्जा	किर्रा	558	0.1140
6	बुलन्दशहर	खुर्जा	खुर्जा	किर्रा	559	2.1000
7	बुलन्दशहर	खुर्जा	खुर्जा	किर्रा	561	0.4052
8	बुलन्दशहर	खुर्जा	खुर्जा	किर्रा	563	1.1408
9	बुलन्दशहर	खुर्जा	खुर्जा	किर्रा	570	0.0630
10	बुलन्दशहर	खुर्जा	खुर्जा	किर्रा	623	0.3933
11	बुलन्दशहर	खुर्जा	खुर्जा	किर्रा	625	0.2054
12	बुलन्दशहर	खुर्जा	खुर्जा	किर्रा	626	1.7540
13	बुलन्दशहर	खुर्जा	खुर्जा	किर्रा	640	0.9066
14	बुलन्दशहर	खुर्जा	खुर्जा	किर्रा	647/2	0.3160
15	बुलन्दशहर	खुर्जा	खुर्जा	किर्रा	647/6	0.3150
कुल योग						**11.8284**

6- अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएं करने के लिए राज्य सरकार/कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7- अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8- अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार तथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी:– उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

———

Format-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

Preliminary Notification by the Appropriate Government/Collector

[Under sub-section (1) of section 11 of the Act]

Government of Uttar Pradesh

Revenue Department

———

Notification Number: 1017/ Eight-V.Bhu.A.A.(S.S.) Bulandshahr

Dated Bulandshahr, June 13, 2025

1. Under sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the State Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purposes of appropriate Government) is of the opinion that a total of 11.8284 hectares of land in Village Kirra, Tehsil Khurja, District Bulandshahr is required for Kirra Industrial Scheme proposed by Khurja Development Authority, Khurja.

2. The State Social Impact Assessment Agency AGRIMAA TRUST has conducted the impact assessment study and submitted its recommendations to the appropriate Government, which have been approved by the appropriate Government.

3. The summary of the Social Impact Assessment Report is as follows:-

(a) After Kirra Industrial Scheme comes to District-Bulandshahr, there will be an increase in economic activity along with employment in the district.

(b) The potential benefits from the project are far greater than the social costs and adverse social impacts. The amount of land proposed for acquisition is very less in comparison to the total land value required for the project.

4. No family is likely to be displaced due to land acquisition.

5. The State Government/Collector gladly agrees to notify the land mentioned in the following schedule for public purpose for general information:-

SCHEDULE

S.S.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be Acquired (in Hectares)
1.	Bulandshahr	Khurja	Khurja	Kirra	550	1.7363
2.	Bulandshahr	Khurja	Khurja	Kirra	553	0.5294
3.	Bulandshahr	Khurja	Khurja	Kirra	556	1.0024
4.	Bulandshahr	Khurja	Khurja	Kirra	557	0.8470
5.	Bulandshahr	Khurja	Khurja	Kirra	558	0.1140
6.	Bulandshahr	Khurja	Khurja	Kirra	559	2.1000
7.	Bulandshahr	Khurja	Khurja	Kirra	561	0.4052
8.	Bulandshahr	Khurja	Khurja	Kirra	563	1.1408
9.	Bulandshahr	Khurja	Khurja	Kirra	570	0.0630
10.	Bulandshahr	Khurja	Khurja	Kirra	623	0.3933
11.	Bulandshahr	Khurja	Khurja	Kirra	625	0.2054
12.	Bulandshahr	Khurja	Khurja	Kirra	626	1.7540
13.	Bulandshahr	Khurja	Khurja	Kirra	640	0.9066
14.	Bulandshahr	Khurja	Khurja	Kirra	647/2	0.3160
15.	Bulandshahr	Khurja	Khurja	Kirra	647/6	0.3150
					Total	**11.8284**

6. To authorise the State Government/Collector to take necessary steps for the purpose of acquisition of land specified and provided under Section 12 of the Act and to survey the land, leveiling of any land, to carry out excavation and to do all such things as are necessary for the proper execution of the work.

7. Under Section 15 of the Act, any person whose interest lies in the land can submit an objection in writing to the Collector against the acquisition of land in his area within 60 days from the date of publication of the notification.

8. Under Section 11(4) of the Act, no person shall, from the date of publication of the notification till the completion of the land acquisition proceedings, deal with the land specified in the preliminary notification, such as by selling/purchasing or creating any encumbrance on the land, without the prior approval of the Collector.

Note: The site map of the said land can be seen in the Collector's office.

By order,
District Magistrate,
Bulandshahr.

पी0एस0य0पी0–ए0पी0 128 राजपत्र (हि०)–2025–(396) 599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।